न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–I, हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं–493/2026

पिंटु कुमार वगैरह बनाम बिहार राज्य

08.07.2026 आवेदक/अभियुक्तगण **1. पिंटु कुमार पे0 रंजीत कुमार, 2. विवेक पाण्डेय उर्फ विवेक कुमार पे0 अशोक पाण्डेय, 3. रंजीत प्रसाद पे0 शरण प्रसाद, 4. राहुल कुमार पे0 साधु शरण प्रसाद, 5. उपेन्द्र प्रसाद पे0 स्व0 किशोरी प्रसाद एवं 6. विजय गोप पे0 राम चन्द्र गोप,** जो परवलपुर थाना काण्ड सं–119/2024 (अन्तर्गत धारा–54,191(2),190, 126(2),115(2),118(1),132,117(2),125,223 बी.एन.एस.) में अभियुक्त है, जिन्हें इस वाद में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्तागण श्री पंकज कुमार द्वारा प्रचालित किया गया। जमानत आवेदन की सुनवाई हेतु मांगी गई मूल अभिलेख एवं वाद दैनिकी प्राप्त है।

2. आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण निर्दोष हैं, जिन्हें ग्रामीण राजनीति के तहत गलत अभियोग के आधार पर इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इस वाद में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है इसलिए साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदकगण को धारा–35 बी.एन.एस0एस0 का लाभ दिया गया है। चूकि इस मामले में अजमानतीय धाराओं में संज्ञान लिया गया है इसलिए आवेदकगण को गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई है। इन तर्को के आलोक में आवेदक अभियुक्तों को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3. विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख आज आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में धारा–54,191(2), 190,126(2),115(2),118(1),132,117(2),125,223 बी.एन.एस. के अन्तर्गत संज्ञान लेते हुए आवेदक अभियुक्तों को आहूत किया गया है। इस संदर्भ में यद्यपि इस वाद के अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 05.08.2024 को इंडेन गैस एजेंसी पिलीछ के पास आवेदक अभियुक्तगण अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर नितीश कुमार पर जानलेवा हमला कर दिये एवं लाठी, डंडा, कुदाल, खन्ती व लोहे के रॉड से जान मारने का प्रयास करने लगे एवं नितीश कुमार को बचाने के क्रम में पुलिस बल को भी चोट आयी थी, किन्तु आवेदक अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप विशिष्टया नहीं है एवं वाद दैनिकी में पप्पु कुमार सिंह, श्रीकान्त कुमार, अखिलेश कुमार झा, एवं नितीश कुमार का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नितीश कुमार के अतिरिक्त अन्य के शरीर पर कठोर व भोथरे पदार्थ से कारित साधारण जख्म है एवं नितीश कुमार के शरीर के मर्माहत भाग पर भी कोई गंभीर जख्म नहीं है। इसके अतिरिक्त इस वाद में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है एवं आवेदक अभियुक्तों ने अनुसंधान के क्रम में भी धारा–35 बी.एन.एस0एस0 के तहत बन्धपत्र भरा है।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– I, हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं–493 / 2026

लगातार

08.07.2026

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक / अभियुक्तों को 10000रू0 एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं तथा धारा–482(2) बी.एन.एस.एस. के विहित शर्तो के साथ आदेश की तिथि से 28 दिनों के अन्दर विद्वान निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने पर जमानत बन्धपत्र दाखिल किये जाने पर विद्वान निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। (लेखापित)

Pandey

(आलोक कुमार पाण्डेय–1)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– I, हिलसा